भाग १ (ख)

राजस्व विभाग

विज्ञप्ति

(धारा २० के अधीन)

संख्या एफ ७ (१२) रा० आ० ह१ दिनांक १-१-६२

चूंकि विज्ञप्ति संख्या ६६ ए फोरेस्ट ४६ दिनांक १२-७-६० द्वारा नीचे लिखी हुई भूमि को मेवाड़ वन अधिनियम (अधिनियम संख्या २ सन १६४२) के अधीन आरक्षित वन के रूप में गठित किये जाने का प्रस्ताव किया गया था।

और चूंकि इन भूमियों पर अधिकारों के बारे में अधियाचनायें प्रस्तुत करने की अवधि जो निर्धारित की गई व्यतीत हो चुकी है और समस्त प्रस्तुत अधियाचनायें यदि हों निपटा दी गई हैं।

और चूंकि उक्त अधियाचनाओं पर पारित आदेशों के विरुद्ध अपील पेश करने की अवधि व्यतीत हो चुकी है और इस अवधि में प्रस्तुत की गई अपीलें निपटा दी गई हैं।

और चूंकि प्रस्तावित वन में सम्मिलित किये जाने के लिये अवाप्त की गई समस्त भूमियां यदि हों अनिवार्य अवाप्ति कानून के अधीन सरकार में निहित हो गई हैं।

अतः अब राजस्थान वन अधिनियम की धारा २० द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, राज्य सरकार उक्त भूमि को दिनांक १५-४-६२ से प्रभाव रखते हुये आरक्षित वन घोषित करती है जो इस प्रावधान के अधीन है कि नीचे लिखे गये गांव अधिकारों की संक्षिप्त सूची (१) में उल्लेखित सीमा तक अधिकार रखते रहेंगे और कोई रियायतें नहीं पावेंगे।

भूमि का विवरण

जिला	तहसील	पट्टी या वनखण्ड	मौजा	क्षेत्रफल वनखण्ड या मौजा एकड़ों में	विशेष विवरण
१		३		५	६
उदयपुर	गिर्वा	कावरी	खारवा जोकी का गुड़ा, साटपुर, जोगपुरिया, मादड़ी, बुडेल व र्‍जोकी का गुड़ा।	२२६३.५७	सीमा रेखा विवरण परिशिष्ट (अ) संलग्न है।

C.S
(मुकेश सैनी)
उप वन संरक्षक
उदयपुर